



राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1 / 2024 (20504)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

मा० न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित निर्णयों की पालना एवं पारित दण्डादेशों को अपास्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 में पूर्व की सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण में, की गई अभिशंषाओं को रिव्यू किये जाने के उपरान्त, की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृंखला** की निम्नांकित वर्षों के जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2013–14

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2013–14 में श्री मनोज शर्मा/श्रीराम शर्मा को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री शैतान सिंह/श्री भूर सिंह (सामान्य) के नीचे एवं श्री अमर सिंह/पाबू सिंह (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री हुमायूँ कबीर खाँ/मोहम्मद इशाक (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2014–15

श्री हुमायूँ कबीर खाँ/मोहम्मद इशाक का चयन वर्ष 2013–14 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2014–15 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री कृशाल सिंह/दीप सिंह (सामान्य) के नीचे तथा श्री आश मोहम्मद/चन्द्र खाँ (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री मनोज शर्मा/श्री श्रीराम शर्मा को वर्ष 2013–14 में पदोन्नत किये जाने के कारण इस चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2015–16

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015–16 में श्री सुगन चन्द/भंवर लाल (एससी) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री महेन्द्र कुमार/हरिशंकर भगत (एससी) के नीचे तथा श्री दिनेश कुमार राजौरा/बाबूलाल राजौरा (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

इस चयन सूची से एससी वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री राजेश मेसराम/जी0आर0 मेसराम का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2016–17

श्री राजेश मेसराम/जी0आर0 मेसराम का चयन वर्ष 2015–16 में निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2016–17 में पदोन्नत किया जाता है तथा श्री धनफूल मीणा/मूलाराम (एसटी) के नीचे तथा रोहित कुमार मीणा/लक्ष्मीनारायण (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री सुगन चन्द/भंवर लाल (एससी) को वर्ष 2015–16 में पदोन्नत किये जाने के कारण इस चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2017–18

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2017–18 में श्री रामेश्वर लाल/चुन्नीलाल (सामान्य) को मा० न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 8204/2016, 8206/2016 में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन अंतरिम आधार पर पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री अभ्य शर्मा/मूलाराम (सामान्य) के नीचे तथा श्री राजूराम/मूलचन्द (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री राम रत्न/मांगूराम का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2018–19

श्री राम रत्न/मांगूराम (सामान्य) का चयन वर्ष 2017–18 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2018–19 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री मदन लाल मीणा/राम रत्न मीणा (एसटी) के नीचे तथा कालू राम वर्मा/बोदूराम (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री देवावर सिंह सोढा/जसवन्त सिंह का चयन निरस्त किया जाता है।



संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D:/JHALA 2024/Promotion Order



राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2018–19 में श्री रघुवीर सिंह/उम्मेद सिंह को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री राजीव शर्मा/कौशल किशोर (सामान्य) के नीचे तथा श्री अली मोहम्मद/उस्मान खँ के उपर निर्धारित की जाती है।

इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अन्तिम अधिकारी श्री सुरेश शर्मा/सत्यनारायण का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2019–20

श्री सुरेश शर्मा/सत्यनारायण का चयन वर्ष 2018–19 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2019–20 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री भंवर लाल/केसराराम (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री देरावर सिंह सोढा/जसवन्त सिंह का चयन वर्ष 2018–19 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2019–20 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री भंवर लाल/केसराराम (सामान्य) के उपर एवं श्री सुरेश शर्मा/सत्यनारायण (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

श्री रामेश्वर लाल/चुन्नीलाल को वर्ष 2017–18 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2019–20 की चयन सूची इनका नाम विलोपित किया जाता है।

श्री रघुवीर सिंह/उम्मेद सिंह को वर्ष 2018–19 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2019–20 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2019–20 में श्री नरेन्द्र कुमार मीणा (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री गोपीचन्द मीणा/शंकर लाल मीणा (एसटी) के नीचे तथा श्री सीताराम/प्रभूदयाल बैरवा (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2019–20 की चयन सूची से एसटी वर्ग के अन्तिम चयनित अधिकारी श्री विजय सेहरा/प्रभूराम (एसटी) का चयन निरस्त किया जाता है। (पूर्व में अन्य प्रकरण में आयोजित रिव्यू डीपीसी में अन्य अधिकारी का चयन होने के कारण श्री दीपक कुमार/दूर्गलाल (एसटी) एवं श्री उनश्याम/प्यारेलाल (एसटी) का नाम विलोपित किया गया)

वर्ष 2020–21

श्री विजय सेहरा/प्रभूराम (एसटी) का वर्ष 2019–20 में चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2020–21 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री पुष्पेन्द्र/भगवान लाल (एससी) के नीचे तथा संजय कुमार/ओम प्रकाश (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2021–22

श्री सुरेन्द्र कुमार/मूलचन्द (एससी) को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मण लाल/मोडू राम (एससी) के नीचे एवं श्री अमर सिंह/उदय सिंह (एसटी) के उपर निर्धारित की जाती है। इस चयन सूची से एससी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री अशोक कुमार/नाथूलाल का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में श्री अरविन्द/रवि दत्त (सामान्य) को पदोन्नति किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री भवानी सिंह शेखावत/सुरेन्द्र सिंह (सामान्य) के नीचे तथा श्री हजारी लाल खटाना/दीनाराम (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिवित उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री हरिराम सोनी/बंशीलाल का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी/जगदीश सिंह (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री विवेक सिंह राव/नारायण सिंह (सामान्य) के नीचे एवं श्री सचिन शर्मा (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिवित उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री राम किशन विश्नोई/नानूराम (सामान्य) (अन्य रिव्यू में चयन होने के कारण) का नाम विलोपित किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में श्री प्रदीप सिंह चारण/गुमान सिंह को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री रामानन्द यादव/नाथूराम (सामान्य) के नीचे तथा श्री राजेन्द्र सिंह रावत/शिवनारायण के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिवित उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 से श्री आशीष कुमार भार्गव/रामेश्वर दयाल (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।



राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में श्री मंजीद खान/सफी मोहम्मद को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मण लाल/माडू राम (एसटी) के नीचे तथा श्री अमर सिंह/उदय सिंह (एसटी) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 से श्री कन्हैया लाल/पीरु राम का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 में श्री पन्ना लाल जांगिड़/मोहन लाल को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री गौतम कुमार जैन/मोहन लाल (सामान्य) के नीचे तथा श्री सुधड़ सिंह/सुखपाल सिंह (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 से श्री विकास कुमार/जीवन राम का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में श्री राजूलाल/कन्हैयालाल (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मण लाल/माडूराम (एसटी) के नीचे तथा श्री प्रहलाद राय/सांवर मल (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 से श्री अमर सिंह/उदय सिंह (एसटी) का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2022–23

श्री हरिराम सोनी/बंशीलाल का चयन वर्ष 2021–22 में निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रमेश चन्द्र/सत्यनारायण (सामान्य) के नीचे एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह/नर सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है। श्री अरविन्द/रविदत्त को वर्ष 2021–22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार/नाथू लाल का चयन वर्ष 2021–22 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री नीरज भारद्वाज/शीतल प्रसाद (सामान्य) के नीचे एवं श्री उमेद सिंह सोलंकी (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है। एससी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2022–23 से श्री चित्रगुप्त महावर/रमेश चन्द्र (एससी) का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2022–23 में श्री अनिल कुमार जोशी/जय सिंह को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री संग्राम सिंह/जगरूप सिंह (सामान्य) के नीचे तथा श्री किशन सिंह/रंजीत सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री नीरज भारद्वाज/सीतल प्रसाद (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री राम किशन विश्नोई/नानूराम का चयन वर्ष 2021–22 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री विकास कुमार/जीवन राम के नीचे निर्धारित की जाती है।

श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी/जगदीश सिंह को वर्ष 2021–22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 की चयन सूची से नाम विलोपित किया जाता है।

श्री आशीष कुमार भार्गव/रामेश्वर दयाल (सामान्य) का वर्ष 2021–22 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मीनारायण सैनी/मखन लाल सैनी (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2022–23 से श्री रणवीर सिंह/अमर सिंह का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

श्री विकास कुमार/जीवन राम (सामान्य) को वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री आशीष भार्गव/रामेश्वर दयाल के नीचे निर्धारित की जाती है।

श्री मंजीद खान/सफी मोहम्मद को वर्ष 2021–22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 की चयन सूची से नाम विलोपित किया जाता है।

श्री कन्हैया लाल/पीरु राम (सामान्य) का चयन वर्ष 2021–22 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रमेश चन्द्र/सत्यनारायण (सामान्य) के नीचे एवं श्री हरिराम सोनी/बंशीलाल (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2022–23 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री जयराम मुण्डेल/सुखाराम (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।



राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2022–23 में श्री मनोहर लाल/गंगा सहाय (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रोहित चावला/हनुमान (एससी) के नीचे एवं श्री विजय कुमार/भंवर लाल (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री नरेन्द्र कुमार मीना/मोदूराम (एसटी) को वर्ष 2019–20 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2022–23 में श्री किशोर सिंह/सादुल सिंह (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री श्रवण कुमार/दयालाराम (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है। सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2022–23 की की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री अनिल शर्मा/मदन गोपाल शर्मा (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2023–24

श्री नीरज भारद्वाज/सीतल प्रसाद (सामान्य) का वर्ष 2022–23 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री महिपाल सिंह सिसोदिया/दीप सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग के अंतिम अधिकारी श्री मनफुल गुर्जर/भूराम (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री रणवीर सिंह/अमर सिंह को वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री नीरज भारद्वाज/सीतल प्रसाद के उपर निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री हनुमान सहाय जाट/पन्नाराम (सामान्य) की सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त कर नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

श्री जयराम मुण्डेल/सुखराम (सामान्य) का चयन वर्ष 2022–23 से निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रणवीर सिंह/अमर सिंह के नीचे एवं श्री नीरज भारद्वाज/शीतल प्रसाद (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 में अंतिम चयनित अधिकारी श्री कैलाश पारीक/लखन लाल (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 में श्री मनोज कुमार सोनी/रामनारायण सोनी (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री दुलीचन्द गुर्जर/मखन लाल गुर्जर (सामान्य) के नीचे तथा श्री बाबूलाल मुरारिया/देशराज मुरारिया के उपर निर्धारित की जाती है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला 2023–24 में आस्थगित में रखी गई पदोन्नति की अभिशंषा में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद तंवर/भंवर लाल तंवर (सामान्य) का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023–24 में श्री जगदीश प्रसाद मीणा/महेश चन्द को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री मनोज कुमार सोनी/रामनारायण सोनी (सामान्य) के नीचे तथा श्री बाबूलाल मुरारिया/देशराज मुरारिया (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 से श्री रामखिलाड़ी मीणा/सुरजन मीणा (एसटी) का चयन निरस्त किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023–24 में श्री छुट्टन लाल मीणा/कल्याण मल मीणा (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र सिंह/कैलाश दान (सामान्य) के नीचे तथा श्री धर्म सिंह मीणा/मेघाराम (एसटी) के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 से श्री बृजेश कुमार मीणा/राम सहाय (एसटी) का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री अमर सिंह/उदय सिंह (एसटी) का चयन वर्ष 2021–22 में निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री हरि राम/बालाराम (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है। श्री मनोहर लाल मीणा को वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 की चयन सूची से नाम विलोपित किया जाता है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023–24 में श्री अनिल कुमार/श्री मदन गोपाल शर्मा (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रणवीर सिंह/अमर सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।



सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 से सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री सुनील कुमार टेलर/नाथू लाल टेलर (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री चित्रगुप्त महावर/रमेश चन्द (एससी) का वर्ष 2022–23 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री बाबूलाल रैगर/वालाराम रैगर (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2023–24 में एससी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री गुलाबाराम मेघवाल/गोवर्धन राम का चयन निरस्त किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मारो मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस